न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/137

1. सीताराम आत्मज मोरपा जाति गुर्जर निवासी करीरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मोरपाल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. बद्रीलाल आत्मज श्री रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. देवकरण आत्मज श्री रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम करीरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नन्दसिंह हाडा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.01.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम करीरी तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 155 रकबा

25 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूम है । उक्त भूमि पर पहुंचने का एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 153 पर होते हुए सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 154 में होकर प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचता है । उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपेन पिता के समय से ही करते चले आ रहे हैं । उक्त रास्ते को नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गया है । अप्रार्थी कम 1 मोरपाल व प्रत्यार्थी संख्या 02 सीताराम प्रार्थीगण से रंजिश रखते हैं तथा प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं इसलिए अप्रार्थी कम 01 मोरपाल अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 152 में आये अपने उत्तरी दिशा के हिस्से की ओर सिवायचक भूमि में होकर निकल रहे प्रार्थीगण के रास्ते का अवरूद्ध करने के उद्देश्य से भूमि को फाड कर पिलर गाडकर रास्ते को अपने खातेदारी की भूमि में मिलाना चाहते हैं । अप्रार्थीगण ने पूर्व में भी प्रार्थीगण के रास्ते को डोल लगाकर अवरूद्ध कर दिया था जिस पर मौतबिर व्यक्तियों द्वारा समझाईश करने पर राजीनामा किया गया । प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण अपने खाते की आराजी पर पहुंचने वाले रास्ते जिसे परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गया है को बहाल करवाकर रास्ते का राजस्व नक्शे में 20 फीट चौडा तरमीम करवाये तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावे ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थीगण को उनके खाते की आराजी पर पहुंचने के लिए नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाया गया है के अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कोर्ट कैम्प बालापुरा में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 27.10.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 507/154 में से 13 फीट चौडा व 521 फीट लम्बा कुल 6773 वर्गफीट राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 1 व 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि मांगा गया मार्ग लघुत्तम मार्ग नहीं है न ही यह 20 फीट चौडा है । रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 अपने खाते की आराजी पर आने–जाने के लिये पूर्व से ही लघुत्तम मार्ग उपलब्ध है जिसका रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 उपयेाग निरनतर करता चला आ रहा है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्याालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत सुगत मार्ग प्रदान करने का प्रवधान नहीं होने पर भी बावजूद निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.06.2022 को रेस्पोडेन्टगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर आकर अपीलान्ट को बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय

की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 07.06.2022 को निर्णय की प्रति प्राप्त हुई । नकल प्राप्त होते ही उक्त अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खाते की आराजी पर पहुंचने के लिए रास्ता कायम करने का कथन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया । अधीनस्थ न्याालय ने गौर नहीं फरमाया कि कानूनन लोक अदालत की भावना से कवेल उन्हीं मामलों का निस्तारण किया जा सकता है जिनके लिये उभयपक्षों में लोक अदालत की भवना से राजीनामा हो गया हो, किन्तु उक्त प्रकरण में निस्तारण करने में न तो अपीलान्ट ने अपनी सहमति दी है और न ही राजीनामा पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि मांगा गया मार्ग लघुत्तम मार्ग नहीं है न ही यह 20 फीट चौडा है । रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 अपने खाते की आराजी पर आने–जाने के लिये पूर्व से ही लघुत्तम मार्ग उपलब्ध है जिसका रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 उपयोग निरनतर करता चला आ रहा है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्याालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत सुगत मार्ग प्रदान करने का प्रवधान नहीं होने पर भी बावजूद निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । केवल सुविधा के लिए ही रास्ता कायम नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम करीरी तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 155 रकबा 25 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि है । उक्त भूमि पर पहुंचने का एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 153 पर होते हुए सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 154 में होकर रेस्पोडेन्ट की भूमि पर पहुंचता है । उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपने पिता के समय से ही करते चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी कम 02 को नोटिस तामील करवाये हैं इस प्रकार अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी प्राप्त थी । स्वयं राजस्व कार्मिकों ने उक्त रास्ता प्रदान किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. न्यायालय हाजा में प्रार्थी अपीलान्टगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर तहसीलदार नैनवा को बतौर प्रतिवादी कम 03 के रूप में पक्षकार बनाकर संयोजित करने का कथन किया । न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 30.112022 को स्वीकार कर संशोधित टाईटल पेश करने के आदेश पारित किये ।

12. प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खाते की आराजी पर पहुंचने के लिए 20 फिट चौडा रास्ता कायम करने का कथन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट बालापुरा में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 27.10. 2021 के द्वारा रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति राजीनामा दिनांक 26 जनू, 2018 संलग्न है जिसके अनुसार उभयपक्षकारान में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 154 सिवायचक भूमि में होकर रास्ता पूर्व से ही कायम होने का कथन किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बनाई गई है । प्रकरण में मौका रिपोर्ट दिनांक 26.10.2021 पटवारी व गिरदावर स्तर से तैयार की गई है । रास्ता सिवायचक खसरा नम्बर 507/154 में से दिया गया है । रास्ता सिवायचक भूमि में से प्रदान किया गया है, तथा तहसीलदार नैनवा द्वारा पत्र दिनांक 27.10.2021 द्वारा उक्त रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी नैनवा को प्रेषित की गई है । अर्थात् इससे यह प्रतीत होता है कि सिवायचक भूमि में से स्वयं राजस्व अधिकारी व कर्मचारी रास्ता देने पर सहमत हैं । यहॉ पर अपीलान्ट को सर्वप्रथम यह साबित करना होगा कि जिस सिवायचक भूमि में रास्ता दिया गया है उसमें अपीलान्ट के क्या स्वतव, हक हैं । अपीलान्ट का कथन है कि वे इस भूमि पर काबिज काश्त हैं, परन्तु अपीलान्ट ऐसा कोई राजस्व दस्तावेज या अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे यह सिद्ध होता हो कि वे प्रश्नगत रास्ते की भूमि पर काबिज काश्त हों । सिवायचक भूमि पर अपीलान्ट का कोई स्वत्व, अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित है कि स्वयं तहसीलदार ने उक्त रास्ता दिये जाने की सहमति प्रदान की गई है। हमारे समक्ष भी गुणावगुण पर अपीलान्ट ऐसा कोई तथ्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे उनका रास्ते में दी गई भूमि पर प्रथमदृष्टया कोई हक, स्वामित्व, अधिकार सृजित होता हो । राजकीय सिवायचक भूमि राज्य सरकार भूमिधारक की ओर से स्वयं तहसीलदार ने भूमि में खसरा नम्बर 507/154 में से रास्ता प्रदान करने की सहमति प्रदान की है । प्रशासन गॉवों के संग अभियान में रास्तों सम्बन्धी विवाद हल करने के व राजस्व कार्मिकों की सहमति से सिवायचक भूमि में से प्रतिकल जमा करवाकर रास्ता दिये जाने के आदेश दिये गये हैं । रास्ता सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जा सकता

है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटो प्रति राजीनामा से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट संख्या 02 प्रार्थी रेस्पोडेन्ट रास्ते में आने जाने में बाधा भी उत्पन्न करते थे । इस राजीनामा से यह भी प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपीलान्ट इस रास्ते का उपयोग करते थे । रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित है कि प्रत्यर्थी प्रश्नगत रास्ते की भूमि को फाडकर रास्ते में नहीं मिलाएं । इसलिए इन्हें निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु पक्षकार बनाया था । परन्तु हमारे विनम्र मत में जिस भूमि में से रास्ता दिया गया है वह खसरा नम्बर 507/154 सिवायचक दर्ज है। प्रश्नगत सिवायचक भूमि पर अपीलान्ट का कोई लोकस–स्टैण्डाई (Locus-Standi) नहीं है । अतः अपीलान्ट द्वारा सिवायचक भूमि को लेकर अपील करने का कोई औचित्य एवं ठोस आधार नहीं है ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2021 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा